राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
www. rsmsssb.rajasthan.gov.in दूरभाष नं. 0141–2722520

क्रमांकः प.14(99)RSSB/अर्थना/जन.सम्पर्क.अधि./भर्ती/2021/104 दिनांक : 24.01.2022

–:: संशोधित विज्ञप्ति ::–

–:: सहायक जनसम्पर्क अधिकारी सीधी भर्ती–2021 ::–

बोर्ड द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान के लिये सहायक जनसम्पर्क अधिकारी सीधी भर्ती–2021 हेतु दिनांक 24.11.2021 को विज्ञापन संख्या 07/2021 जारी किया गया था। अब विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के लिए 07 पद स्वीकृत किये गये है। विभाग द्वारा गैर–अनुसूचित क्षेत्र के 69 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 07 कुल 76 पदों की संशोधित अर्थना बोर्ड को भिजवाई है। अतः बोर्ड द्वारा सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के 76 पदों पर भर्ती हेतु पुनः ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते है। अब उक्त पदों का नवीनतम वर्गवार आरक्षण का वर्गीकरण निम्नानुसार हैः–

सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार हैः–

(क) गैर–अनुसूचित क्षेत्र

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग				बारां जिले की सहरिया आदिम जाति	
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला
69	19	06	02	–	08	02	01	–	06	02	–	–	10	03	01	–	03	–	–	–	05	01	–	–	–	–

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)						
विशेष योग्यजन				विभागीय मंत्रालयिक कर्मचारी	भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ी
B/LV	HI	LD/CP	MI/MD			
01	01	01	–	–	08	01

(ख) अनुसूचित क्षेत्र

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)					
													विशेष योग्यजन				भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ी
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	B/LV	HI	LD/CP	MI/MD		
07	03	01	–	–	–	–	–	–	03	–	–	–	–	–	–	–	–	–

नोटः– विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढोतरी की जा सकती है एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

विशेष नोटः–

1. जिन अभ्यर्थियों ने सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के पद की भर्ती हेतु बोर्ड के विज्ञापन संख्या 07/2021 दिनांक 24.11.2021 के अनुसार आवेदन कर दिया है उन्हें पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं हैं। पूर्व में अनुसूचित क्षेत्र के जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है, उन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन में संशोधन (Edit) करने की सुविधा दी जाती है। ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, वे अपने ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में पुनः आवेदन करने की अवधि में संशोधन कर सकते है। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में संशोधन नही करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदो के लिये विचार नही किया जायेगा।
2. अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेगें। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी है और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता–पिता/पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे है। कार्मिक(क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.

2019 के अनुसार इनके अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा संबंधित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अंकन नही करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदो के लिये विचार नही किया जायेगा।

3. अनुसूचित क्षेत्र के लिए कार्मिकों का चयन राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्ते) नियम–2014 के अधीन होगा। जहां पर इन नियमों में स्पष्ट प्रावधान नही है, वहां पर संबंधित विभाग के नियमों के प्रावधान लागू होंगे।

4. अनुसूचित क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति, द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ. 19(2) 80–एल–1 दिनांक 12.02.1981 द्वारा घोषित क्षेत्र के कम में कार्मिक(क–2) विभाग ने अपने परिपत्र कमांक प.13(20) कार्मिक/क–2/91/पार्ट–3 दिनांक 01.06.2018 द्वारा भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना दिनांक 19.05.2018 के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को विखण्डित (Rescinds) करते हुए, अनुसूचित क्षेत्रों को पुनः परिनिश्चित (Redefined) किया गया है।

5. गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरूद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगें। यदि अभ्यर्थी का चयन अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है तो अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपना लिखित में विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि वह अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में से किस क्षेत्र में अपना चयन चाहता है तथा किस क्षेत्र के अपने चयन को निरस्त करवाना चाहता है। विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी का अंतिम चयन अनुसूचित क्षेत्र में माना जावेगा।

आवेदन करने की अवधिः– ऑनलाईन आवेदन पत्र राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र, नेट बैकिंग, ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करवाकर **दिनांक 31.01.2022 से दिनांक 14.02.2022 को 23.59 बजे तक** बोर्ड की वेबसाईट पर भरें जा सकते है (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा)।

परीक्षा का माह एवं दिनांकः– सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के पदों की भर्ती हेतु अब परीक्षा **दिनांक 24.04.2022** को बोर्ड द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्रो पर करवाई जायेगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाईट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जायेगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

विज्ञापन की शेष शर्ते विज्ञापन संख्या 07/2021 दिनांक 24.11.2021 के अनुसार यथावत रहेगी।

(हरि प्रसाद शर्मा)

अध्यक्ष